


317



### न्यायालय राजस्व-मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण नि 2014 4184-III-14

दिनांक 24-11-14  
महोदय श्री देवीदीन कुम्हार  
महोदय श्री देवीदीन कुम्हार  
24-11-14

ललन कुम्हार पुत्र श्री कमलदास कुम्हार  
निवासीग्राम पसला तहसील व जिला  
अनूपपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. देवीदीन पुत्र स्व. मिलन कुम्हार  
निवासी ग्राम पसला तहसील व जिला  
अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

मुकेश कुमार  
24-11-14  
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार (वृत्त फुनगा) तहसील  
अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा रा.प्र.कं. 35/अ-3/  
2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2012 के विरुद्ध  
म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत  
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, भूमि सर्वे नं. 929 कुल रकवा 19 डि. भूमि स्थित ग्राम पसला तहसील अनूपपुर में स्थित होकर 14 डि. (0.057) रकवा आवेदक के स्वामित्व

Received  
24-11-14

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ



प्रकरण क्रमांक निगरानी 4184-तीन/2014

जिला अनूपपुर

लिलन कुम्हार

विरुद्ध

देवीदीन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 35/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p> 25/2/2019</p>